न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगंज

प्रकरण संख्या 53/18

दायरा दिनांक 14-8-18

निर्णय दिनांक 21-1-19

प्रस्थान

चिमनाराम पुत्र मथुरालाल जाति माली निवासी किशनगंज तहसील किशनगंज जिला बारां (राज०)

- वादी -

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां

- प्रतिवादी -

वाद अन्तर्गत धारा 88.89 RTA

। निर्णय ।

वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88.89 RTA जरिये एड. विजय प्रकाश नागर ने इस आशय का पेश किया कि (1) प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी मौजा ग्राम किशनगंज पटवार हल्का किशनगंज तहसील किशनगंज जिला बारां (राज०) में खेवट खतौनी संख्या नई 196 पुरानी 187 के ख० न० 335 रकबा 10.01 बीघा, ख० न० 100 रकबा 1.10 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 11.11 बीघा अवस्थित है। उक्त आराजी को वाद पत्र में आगे चलकर विवादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।

(2) यह कि उक्त विवादित आराजी में प्रार्थी का नाम गलत इन्द्राज सेवाराम पुत्र मथुरा अंकित हो रहा है, जो पूर्णतया से गलत व अशुद्ध है। क्योंकि प्रार्थी वादी के कब्जे

उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज जि. बारां (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

दस्तावेज मतदाता पहचान पत्र भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड में प्रार्थी का वास्तविक नाम शिवनारायण पुत्र अंकित है।

(3) यह कि वादी के उक्त विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड नामान्तरण संख्या 1084 दिनांक 4.6.1993 सम्वत 2047-50 दर्ज करते समय पर त्रुटिवश से प्रार्थी शिवनारायण पुत्र मथुरालाल के स्थान पर सेवाराम पुत्र मथुरा अंकित दर्ज कर दिया गया है, जिसके कारण से प्रार्थी को बैंक एवं अन्य सरकारी कार्यों को सम्पादित करने अथवा बैंक संस्था से कृषि सुधार हेतु ऋण प्राप्त करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिये प्रार्थी अपने राजस्व रेकार्ड में अपना नाम सेवाराम पुत्र मथुरा के स्थान पर अपना शुद्ध एवं वास्तविक नाम शिवनारायण पुत्र मथुरा दर्ज करवा पाने का अधिकारी एवं मालिक भी है।

(4) यह कि उपरोक्त विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम सही करवाने के लिये वादी द्वारा राजस्व अभियान कैम्प 2018 कैम्प किशनगंज में दिनांक 28/6 एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन आज दिनांक तक पक्षकार का नाम राजस्व रेकार्ड में सही नहीं किया है।

(5) यह कि वाद कारण दिनांक 28/6/18 को राजस्व में आवेदन प्रस्तुत करने एवं आज दिन तक किसी प्रकार की कार्यवाही न होने प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में सही नहीं करने तहसील किशनगंज में वाद कारण उत्पन्न हुआ है।

(6) यह कि राज्य सरकार (सर्वोच्च भू स्वामी है इस कारण सरकार को जरिये तहसीलदार साहब किशनगंज एवं जरिये कलक्टर बारां को 80CPC का नोटिस दिनांक 4.8 प्रेषित करवा दिया गया है। लेकिन नोटिस मियाद अभी पूरी नहीं हुई है। तथा वाद हेतु आराजी का आवश्यक कार्य होने से नोटिस मियाद अवसान पूर्व ही न्यायालय की अनुमति से प्रस्तुत किया जा रहा है। 80(2)

उप खण्ड अधिकारी
किशनगंज जि. बारां (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

प्रस्तुत है।

7) यह कि वाद पत्र उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है

8) यह कि वाद पत्र के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वास्ते हक वादी खिलाफ प्रतिवादी निम्न आशय का डिक्री फरमाई जावे कि :- ग्राम किशनगंज की आराजी ख०न० 335 रकबा 10.01 बीघा, ख०न० 900 रकबा 1.10 बीघा कुल रकबा 11.11 बीघा के वर्तमान राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थी का नाम सेवालाल पुत्र मथुरा के स्थान पर शिवनारायण पुत्र मथुरालाल दर्ज किया जावे।

(2) अन्य न्यायोचित सहायता भी वादी को प्रतिवादी से दिलाई जावे।

रिपोर्ट सरिस्ता ली गई प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी हेतु नोटिस समन जारी किये गये, नियत तिथि को प्रतिवादी पैरोकार सरकार उपस्थित, जवाब पेश नही करना चाहते। जवाब बन्द किया गया। वादी ने शपथपत्र 80 आशय का पेश किया कि मै शिवनारायण उर्फ सेवालाल आयु 54 वर्ष पुत्र श्री मथुरालाल जाति माली निवासी किशनगंज तहसील किशनगंज जिला बारां (राज०) का रहने वाला हूं। जो निम्न बयान शपथ पत्र आलेखित करता हूँ। शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे बचपन का नाम घर पर सेवालाल है एवं शिवनारायण है। मुझे उक्त दोनो ही नाम से जाना जाता है। मेरे राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड मतदाता पहचान पत्र आदि मे मेरा नाम शिवनारायण दर्ज है, तथा राजस्व रेकार्ड मे सेवालाल दर्ज है जिसे मै शिवनारायण दर्ज करवाना चाहता हूं। सेवालाल व शिवनारायण मेरे एक के ही दो नाम है। मै शपथपूर्वक बयान करता हूं कि उक्त शपथ पत्र मेरे ज्ञान से सही एवं सत्य है, इसका कोई अंश मिथ्या नही है। ईश्वर मेरी मदद करे। वादी अधिवक्ता की

उप खण्ड अधिकारी
किशनगंज जि. बारां (राजस्थान)

एकपक्षीय बहस सुनी गई दौराने बहस वादी अधि॰
वादपत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया इसके पत्रावली
अवलोकन मनन किया पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रि॰
नकल जमाबन्दी सम्वत 2071-74 ग्राम किशनगंज, मतदाता
पत्र, भामाशाह कार्ड, परिवार राशन कार्ड का अवलोकन
उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा
RTA स्वीकार योग्य है। अतः इस आशय का निर्ण॰
किया जाता है कि :-

क्रियात्मक आदेश :-

ग्राम किशनगंज की आराजी ख०न० 335 र॰
10.01 बीघा, ख०न० 900 रकबा 1.10 बीघा कुल कि॰
कुल रकबा 11.11 बीघा के वर्तमान राजस्व रेकार्ड में
का नाम सेवाराम पुत्र मथुरा के स्थान पर शिव॰
पुत्र मथुरालाल दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदा॰
को दिये जाते है। तदनुसार डिक्री पत्रावली जावे है।
आज दिनांक 21-1-19 को लिखवाकर सुनाया

उप खण्ड अधि॰
किशनगंज जि. बारां (॰

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandan Dubey
Date: 2020.01.14 14:20:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: